न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3870/2002/सवाई माधोपुर

मु0 धन्नी बेवा जैल्या जाति चमार निवासी ग्राम जीवली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

....**अपीलांट/प्रतिवादी**

बनाम

1. बंशी पुत्र सुक्का – मृतक जरिये **(कायममुकाम)**

1/1. सुन्दर पुत्र बंशी
1/2. किशन पुत्री बंशी
1/3. गिरधारी पुत्री बंशी
1/4. बाबू पुत्र बंशी
1/5. रामोती बेवा बंशी
–समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम जीवली तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर
1/6. गेंदी पुत्री बंशी पत्नि दुर्गा जाति बैरवा निवासी बामनवास तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

2. जयराम पुत्र जैल्या जाति चमार निवासी ग्राम जीवली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार, गंगापुर सिटी

....**रेस्पोन्डेन्ट्स/वादीगण**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे0पी0माथुर, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री एल0एस0माथुर, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः- 18-09-2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील सं. 103/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-05-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने ग्राम टीहली तहसील तिजारा स्थित विवादित आराजियात साबिक खसरा संख्या 86/9-7, 400/1-9, 176/0-2, 309/0-5 के हाल खसरा संख्या 155/2-8, 161/2-8, 162/4-12, 785/1-9, 241/0-4, 242/0-4, 243/0-4, 608/0-7 के संबंध में प्रतिवादी मनोहर वगैरहा के विरूद्ध इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज, हुक्मइम्तनाई दवामी पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को खारिज करने का निवेदन किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी के वाद को आज्ञा दिनांक 05-03-2012 जारी करते हुए आंशिक डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि ग्राम टीहली तहसील तिजारा के आराजी खसरा संख्या 155/0-61, 161/0-61, 162/1-16 में वादी का हिस्सा 1/8 तथा खसरा संख्या 608/0-09, 785/0-37 में वादी को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा कम कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक

25–05–2017 द्वारा खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–03–2012 को यथावत रखा। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25–05–2017 द्वारा से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. ..... विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/प्रतिवादी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में वादी की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नक्शा ट्रेस को नजरन्दाज कर निर्णय पारित कर भूल की है। आगे बताया कि पक्षकारान की आपत्ति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम कर लिए गए थे, तो आदेश 20 नियम 5 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय का यह दायित्व था कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक वार विवेचित करते। यहीं नहीं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपना निर्णय विवाद्यक वार पारित नहीं किए जाने के कारण आक्षेपित निर्णय आदेश 41 नियम 31 के प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है। उनका तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि विवादित रकबा जिसे कि विपक्षी को देने एवं उसके नाम इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश दिया है। उक्त भूमि में अपीलान्ट धन्नी के पूर्वजों की समाधियां बनी हुई है, इस कारण उक्त भूमि विपक्षी को नहीं दी जा सकती थी। उनका यह भी तर्क है कि खसरा संख्या 787 पर अपीलान्ट का निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त गवाहान के बयानात के आधार पर भी वादी का विवादित रकबे पर कब्जाकाश्त नहीं है। उनका आगे तर्क है कि मूल वाद में विवाद केवल मात्र सीमाज्ञान से संबंधित है, इस कारण न्यायालयों द्वारा अपने आदेश पारित

करने से पूर्व पटवारी हल्का व तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर व पूर्ण जांच करके ही निर्णय पारित किये जाने चाहिए थे। इस दृष्टि से भी मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14-09-2000 एवं उपजिला कलक्टर गंगापुरसिटी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11-10-1999 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

6. इसके विपरीत रेस्पोर्डेंट्स/वादीगण के अधिवक्ता ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत कहा है। उनका कहना है कि बंदोबस्त की अनियमित कार्यवाही के कारण खसरा संख्या 434 मिन को 431 के साथ मिलाते हुए नवीन खसरा संख्या 787 रकबा 40 एयर कायम किया गया है, वह कानून व विधि के विपरीत है। मामले में दोनों न्यायालयों ने वादी के दावे को डिक्री कर 5 एयर भूमि प्रदान की है। मिलान खसरा में 787 जो कि खसरा संख्या 431 व 434 से मिलना बताया गया है, जिससे वादी की भूमि कम हुई है तथा प्रतिवादीगण की भूमि बढी है। उनका तर्क है कि वादी को न्यायालय ने 6 एयर में से 5 एयर भूमि प्रदान की है। विधि की भावना है कि बंदोबस्त विभाग को किसी खातेदारी के रकबे को कम व ज्यादा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में एक खातेदारी की भूमि के रकबे को दूसरे खातेदार की खातेदारी में मिला दिया गया है, जो कि स्पष्टया कानून व विधि के विपरीत है। इस दृष्टि से भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि दोनों पक्षों की भूमि में कब्जेकाश्त के बाबत सीमाज्ञान का विवाद प्रकट होता है। प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष बंशी वादी ने एक वाद बाबत हस्तकरार हक खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी का जयराम वगैरहा प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि ग्राम जीवली में स्थित साबिक खसरा संख्या 434 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा वादी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है। जमाबंदी सम्वत 2031–2034 में यह खसरा संख्या 434/1 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह, 434/2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान उक्त खसरा नम्बर के नवीन नम्बर 787, 788, 789, 792, 793, 794, 820, 821, 834 कायम किए है। खसरा खसरा संख्या 788, 789, 792, 793, 794, 820, 821, 834 का इन्द्राज खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। हाल खसरा संख्या 787 रकबा 40 एयर को गत खसरा संख्या 431 मिन व 434 मिन से बनया है। उक्त खसरा नम्बर में वादी की 6 एयर भूमि गलत रूप से शामिल कर दी गई। प्रतिवादीगण इस गलत अंकन के आधार पर उसे बेदखल करने पर आमादा है। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि वाद/वादी उसके विरूद्ध अपास्त किया जावे। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 विवाद्यक किए। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर आज्ञा दिनांक 11–10–1999 पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि खसरा संख्या 787 रकबा 40 एयर ग्राम जीवली में से 5 एयर भूमि का वादी को उसके कब्जेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा यह 5 एयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की खातेदारी से कम की जाकर वादी की

खातेदारी में पृथक से बटा नम्बर डालकर दर्ज की जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जावे। उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 11–10–1999 के विरूद्ध जयराम ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंनें आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–09–2000 से अपील को राजस्व रेकार्ड से सिद्ध नहीं होने के कारण अपास्त करते हुए उपजिला कलक्टर गंगापुरसिटी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–10–1999 को यथावत रखा है। रेकार्ड के अनुसार यह पाया जाता है कि बंदोबस्त की कार्यवाही में प्रतिवादी को साबिक रकबे के बजाय अधिक रकबा मिला है। मिलान क्षेत्रफल से भी स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा संख्या 787 में साबिक खसरा संख्या 434 का रकबा शामिल किया गया है, इससे यह उद्धरित होता है कि साबिक खसरा संख्या 434 का भी कुछ रकबा नवीन खसरा संख्या 787 में मिलाया गया है। वादी ने स्वतंत्र गवाहान से अपने वाद को सिद्ध कराया है। वादी के साबिक रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा का नवीन रकबा 1–02 हैक्टर बनता है, जिसके स्थान पर वादी को 97 एयर रकबा दिया गया है, जो साबिक रकबे से 5 एयर कम है। इसके विपरीत प्रतिवादी के साबिक रकबे 1 बीघा 7 बिस्वा का 34 एयर बनता है, जिसके स्थान पर प्रतिवादी को 40 एयर रकबा दिया गया है, जो साबिक रकबे से 6 एयर ज्यादा है। सारांशतः कब्जे के अनुसार खसरा संख्या 787 में से 5 एयर भूमि की खातेदारी पाने का वादी हकदार प्रतीत होता है। गवाहान के बयानात व उपलब्ध रेकार्ड का विधि की दृष्टि से परीक्षण करने पर मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है।

9. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निर्णयों में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किए है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14-09-2000 तथा उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11-10-1999 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य